राजस्थान सरकार

कार्मिक (क-ग्रुप-2) विभाग

23 JAN 2023

सं. एफ. 5(1)डीओपी/ए-II/2023 **जयपुर, दिनांक:**

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान के अधीन अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में विभिन्न कार्मिकों की नियुक्ति हेतु विशेष चयन और सेवा की विशेष शर्तों के लिए प्रक्रिया अधिकथित करते हुए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान सिविल सेवा (अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कार्मिकों की नियुक्ति के लिए विशेष चयन और सेवा की विशेष शर्तें) नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. विस्तार और लागू होना.- ये नियम अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के विभिन्न पदों पर कार्मिकों की नियुक्ति के लिए अनुसूची-I में यथा विनिर्दिष्टानुसार लागू होंगे।

3. परिभाषाएं.- जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों में, -

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से निदेशक या ऐसा अन्य प्राधिकारी अभिप्रेत है जिसे राज्य सरकार की सहमति से निदेशक द्वारा शक्तियां प्रत्यायोजित की जा सकें;

(ख) "विभाग" से स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान अभिप्रेत है;

(ग) "निदेशक" से निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर अभिप्रेत है;

(घ) "अंग्रेजी माध्यम विद्यालय" से महात्मा गांधी राजकीय (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालय, स्वामी विवेकानन्द राजकीय आदर्श विद्यालय (एसवीजीएमएस) और समस्त अन्य राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय अभिप्रेत हैं;

(ङ) "सरकार" से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है;

(च) "कार्मिक" से अनुसूची-I में निर्दिष्ट पदों पर नियुक्त किया गया कोई कार्मिक अभिप्रेत है;

(छ) "चयन समिति" से नियम 9 में निर्दिष्ट समिति अभिप्रेत है;

(ज) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(झ) "राज्य" से राजस्थान राज्य अभिप्रेत है; और

Gml

(ञ) "वर्ष" से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है।

4. निर्वचन.- जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 8) इन नियमों के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी राजस्थान अधिनियम के निवर्चन के लिए लागू होता है।

5. सेवा का गठन, स्वरूप और उसमें पदों की संख्या.- (1) अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में सम्मिलित पदों का स्वरूप ऐसा होगा जो अनुसूची-I के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट है।

(2) प्रत्येक अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पदों की संख्या ऐसी होगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाये:

परन्तु सरकार -

(क) आवश्यक समझे जाने पर किसी भी स्थायी या अस्थायी पद का समय-समय पर सृजन कर सकेगी; और

(ख) किसी व्यक्ति को किसी भी प्रतिकर का हकदार बनाये बिना किन्हीं स्थायी या अस्थायी पदों को समय-समय पर खाली या प्रास्थगित रख सकेगी या समाप्त कर सकेगी।

6. रिक्तियों का अवधारण.- वर्ष के दौरान या जैसे और जब भी ऐसी आकस्मिकता उत्पन्न हो, नियुक्ति प्राधिकारी प्रत्येक जिले के अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में भरी जाने वाली प्रत्याशित रिक्तियों की संख्या, प्रत्येक वर्ष पहली अप्रैल को अवधारित करेगा।

7. चयन का स्रोत.- इन नियमों के प्रारम्भ के पश्चात्, अनुसूची-I के स्तम्भ संख्यांक 2 में यथाविनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिए चयन, उस जिले को अधिमानता देते हुए जिसमें रिक्तियों को भरा जाना है के, अनुसूची-I के स्तम्भ संख्यांक 3 में उल्लिखित विभाग के, पात्र कार्मिकों में से चयन समिति की सिफारिश पर किया जायेगा।

8.चयन के लिए पात्रता.- अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति हेतु विचार किये जाने के लिए केवल ऐसे व्यक्ति ही पात्र होंगे जो, ऐसे जिले को अधिमानता देते हुए जिसमें रिक्तियों को भरा जाना है, के विभाग के पदधारी हैं और अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट पदों पर अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पदस्थापन/नियुक्ति के लिए पात्र हैं।

9. चयन समिति.- अनुसूची-I में प्रगणित समस्त पदों पर उपयुक्त पात्र अभ्यर्थियों का पद-वार चयन, निम्नलिखित राज्य स्तरीय चयन समिति, रेंज स्तरीय चयन समिति या, यथास्थिति, जिला स्तरीय चयन समिति की सिफारिश पर, किया जायेगा।

क. राज्य स्तरीय चयन समिति.- अनुसूची-I की क्रम संख्या 1, 2 और 3 पर उल्लिखित पदों पर चयन के लिए, राज्य स्तरीय चयन समिति निम्नलिखित से मिलकर गठित होगी, अर्थात्:-

(i)	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर	चेयरपर्सन
(ii)	प्रशासनिक विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट, उप-सचिव से अनिम्न रैंक का एक प्रतिनिधि	सदस्य
(iii)	राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर द्वारा नामनिर्दिष्ट, जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) से अनिम्न रैंक का एक प्रतिनिधि	सदस्य
(iv)	निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर द्वारा नामनिर्दिष्ट, जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) से अनिम्न रैंक का एक प्रतिनिधि	सदस्य
(v)	राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर द्वारा नामनिर्दिष्ट, उपायुक्त से अनिम्न रैंक का एक प्रतिनिधि	सदस्य
(vi)	उप निदेशक (एमजीजीएस), निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर	सदस्य–सचिव

राज्य स्तरीय चयन समिति में के किसी सदस्य की अनुपलब्धता की दशा में, पूर्ण समिति के गठन के लिए निदेशक द्वारा किसी प्रतिस्थानी अधीनस्थ अधिकारी को नामनिर्दिष्ट किया जा सकेगा।

ख. रैंज स्तरीय चयन समिति.- अनुसूची-I की क्रम संख्यां 4 से 9 पर उल्लिखित पदों पर चयन के लिए रैंज स्तरीय चयन समिति निम्नलिखित से मिलकर गठित होगी, अर्थात्:-

(i)	संयुक्त निदेशक, संबंधित रैंज की स्कूल शिक्षा	चेयरपर्सन
(ii)	प्रशासनिक विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट, जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) से अनिम्न रैंक का एक प्रतिनिधि	सदस्य
(iii)	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर द्वारा नामनिर्दिष्ट, जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) से अनिम्न रैंक का एक प्रतिनिधि	सदस्य
(iv)	संयुक्त निदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट, रैंज के किसी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय का प्रधानाचार्य	सदस्य
(v)	निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर द्वारा नामनिर्दिष्ट, प्रधानाचार्य से अनिम्न रैंक का एक प्रतिनिधि	सदस्य
(vi)	संबंधित रैंज की स्कूल शिक्षा का उप निदेशक	सदस्य–सचिव

6ws

	(एमजीजीएस), संयुक्त निदेशक कार्यालय,	

रेंज स्तरीय चयन समिति में के चेयरपर्सन/सदस्य की अनुपलब्धता की दशा में या यदि अतिरिक्त प्रभार धारित करने वाले अधिकारी के पास बहु-समनुदेशित कार्य हों तो, पूर्ण समिति के गठन के लिए निदेशक द्वारा किसी प्रतिस्थानी के रूप में उससे अधीनस्थ किसी अधिकारी को नामनिर्दिष्ट किया जा सकेगा।

ग. जिला स्तरीय चयन समिति.- अनुसूची-I की क्रम संख्या 10 से 17 तक, पर उल्लिखित पदों पर चयन के लिए जिला स्तरीय चयन समिति निम्नलिखित से मिलकर गठित होगी, अर्थात्:-

(i)	संबंधित जिले का मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी	चेयरपर्सन
(ii)	प्रशासनिक विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट, जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) से अनिम्न रैंक का एक प्रतिनिधि	सदस्य
(iii)	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर का एक प्रतिनिधि जो जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) से अनिम्न रैंक का हो	सदस्य
(iv)	संबंधित जिले के जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान का प्रधानाचार्य,	सदस्य
(v)	चेयरपर्सन द्वारा नामनिर्दिष्ट, जिला मुख्यालयों पर स्थित महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय का प्रधानाचार्य,	सदस्य
(vi)	संबंधित जिले का जिला माध्यमिक शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)	सदस्य-सचिव

जिला स्तरीय चयन समिति में के चेयरपर्सन/सदस्य की अनुपलब्धता की दशा में या यदि अतिरिक्त प्रभार धारित करने वाले अधिकारी के पास बहु-समनुदेशित कार्य हों तो, पूर्ण समिति के गठन के लिए आवश्यकतानुसार किसी संबंधित रेंज के संयुक्त निदेशक द्वारा कोई अधीनस्थ अधिकारी नामनिर्दिष्ट किया जा सकेगा।

10. चयन के लिए मानदण्ड.- व्यक्तित्व, चरित्र, सेवा का पूर्व अभिलेख और संबंधित सेवाओं में पूर्वानुभव या चयन का अन्य कोई मानदण्ड अर्थात् अंग्रेजी भाषा सम्प्रेषण कौशल और अपने विषय को अंग्रेजी माध्यम में अच्छी तरह से अध्यापन कराने में प्रवीणता या जो भी समिति द्वारा समुचित समझा जाये, को ध्यान में रखते हुए संबंधित चयन समिति द्वारा, साक्षात्कार के पश्चात् चयन किया जायेगा। निदेशक, अत्यावश्यकता के अनुसार अग्रिम विस्तृत अनुदेश बनाने, संशोधित करने और जारी करने के लिए सशक्त होगा।

Gwh

11. चयन के लिए प्रक्रिया.- (1) जैसे ही यह विनिश्चित किया जाये कि, अनुसूची-I के स्तम्भ संख्यांक 2 में यथाविनिर्दिष्ट रिक्त पदों की कतिपय संख्या को भरने के लिए अनुसूची-I के स्तम्भ संख्यांक 3 में उल्लिखित पात्र अभ्यर्थियों में से, चयन किया जाना है तो निदेशक या इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, समस्त पात्र अभ्यर्थियों से नियत तारीख तक ऐसी तरह से, जो वह समुचित समझे, आवेदन आमंत्रित करेगा।

(2) पात्र अभ्यर्थी, निदेशक द्वारा यथा विनिश्चित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा यथा विज्ञापित पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे।

(3) अभ्यर्थी विज्ञापित पदों/रिक्तियों पर पदस्थापन के लिए इतने विकल्प उल्लिखित कर सकेंगे जितने तत्समय विनिश्चित किये जायें।

(4) प्राप्त आवेदनों की छानबीन के पश्चात् लम्बित विभागीय जांचों, अभियोजन प्रतिवेदनों, अन्य सेवा अभिलेखों या अन्य कोई सूचना जो समुचित समझी जाये, ईप्सित की जा सकेगी। ऐसी सूचना पर सम्यक विचार किये जाने के पश्चात्, नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी, पात्र अभ्यर्थियों को उनके पद/विषयों के अनुसार साक्षात्कार के लिए अनुसूची जारी करेगा। अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार में प्रदर्शन और निदेशक द्वारा यथा विहित मानकों के अनुसार तैयार योग्यता सूची के आधार पर किये जायेंगे। अभ्यर्थियों का चयन, संभावित रूप से भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के समान उनकी उपयुक्तता के अनुसार किया जायेगा और तदनुसार उपयुक्त अभ्यर्थियों के नामों की सूची तैयार की जाएगी:

परन्तु चयन समिति, यदि उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध हों, तो अधिक अभ्यर्थियों को आरक्षित सूची पर रख सकेगी जिनकी संख्या निर्धारित रिक्तियों की 50% से अधिक नहीं होगी। ऐसे अभ्यर्थियों के नाम पदस्थापन के लिए विचार में लिए जा सकेंगे जब तक कि नयी चयन प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं हो जाती।

12. चयन के पश्चात् पदस्थापन.- चयनित अभ्यर्थियों की सूची, चयन समिति द्वारा अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के लिए नामनिर्दिष्ट राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी को उपलब्ध करायी जाएगी। चयन सूची सहित समस्त चयनित अभ्यर्थियों और गैर-चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख, सदस्य-सचिव द्वारा चयन समिति को भेजे जाएंगे। निदेशक के अनुमोदन के पश्चात् चयन सूची राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को पदस्थापन के लिए उपलब्ध करायी जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों के पदस्थापन आदेश नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्राप्त चयन सूची के अनुसार जारी किये जाएंगे।

13. प्रतिवर्तन.- सामान्यत: मध्यवर्ती सत्र में अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयन के पश्चात् पदस्थापित कार्मिक का प्रतिवर्तन हिन्दी माध्यम विद्यालयों में स्वीकार्य नहीं होगा। प्रतिवर्तन के लिए प्रत्येक वर्ष आवेदन, नयी चयन प्रक्रिया प्रारम्भ होने से पूर्व निदेशक द्वारा

यथा विनिर्दिष्ट समय में लिए जाएंगे। ऐसे प्रतिवर्तन के कारण होने वाली रिक्तियां भावी रिक्तियों के रूप में आगामी चयन प्रक्रिया में सम्मिलित की जायेंगी। ऐसे प्रतिवर्तन के लिए इच्छुक कार्मिक, नयी चयन प्रक्रिया के पूर्ण होने पर प्रतिस्थापित कार्मिक के पदग्रहण के पश्चात् पदस्थापन के लिए पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी को सुपुर्द किया जायेगा। निदेशक, आपवादिक परिस्थितियों में सम्यक् अभिलिखित आधारों पर किसी भी समय प्रतिवर्तन अनुज्ञात कर सकेगा।

14. सेवा की अन्य शर्तें.- (1) सामान्यतः अनुसूची- I में प्रगणित पद पर चयन के पश्चात् कार्मिक को एक वर्ष की किसी कालावधि के लिए पदस्थापित किया जायेगा जो प्रदत्त सेवाओं के प्रदर्शन के पुनर्विलोकन पश्चात् निदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया द्वारा बढ़ायी जानने योग्य होगी। नियुक्ति प्राधिकारी का किसी कार्मिक को, पूर्वतर नियुक्ति प्राधिकारी के कार्यालय के लिए ऐसी सेवावधि के पूर्ण होने से पूर्व, बिना कोई कारण दिये, निर्मुक्त करने का अधिकार होगा। निदेशक से भिन्न नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी कार्रवाई करने के पूर्व निदेशक से अनुमोदन प्राप्त करेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयन के पश्चात् पदस्थापित किये गये समस्त कार्मिकों के प्रदर्शन का वार्षिक पुनर्विलोकन, निदेशक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट रीति और प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

(3) जैसे ही, अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयन के पश्चात् पदस्थापित कार्मिक को मूल संवर्ग में किसी उच्चतर पद पर पदोन्नत किया जाता है उसे पदोन्नति पर पदस्थापन के लिए प्रतिवर्तित समझा जायेगा। अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पदस्थापन के लिए वांछनीय अर्हताएं रखने की दशा में, नियुक्ति प्राधिकारी पदोन्नत कार्मिक का किसी भी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में रिक्तियों और अत्यावश्यकता के अनुसार पदस्थापन पर प्रतिधारण का विनिश्चय कर सकेगा।

(4) इन नियमों में यथा उपबंधित के सिवाय, अनुसूची-I के स्तम्भ 2 में यथा विनिर्दिष्ट पद की अन्य सेवा शर्तें, राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा बनाये गये अन्य नियमों द्वारा विनियमित की जायेंगी।

(5) अनुसूची– II में यथा विनिर्दिष्ट दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों में पदस्थापित किये जाने वाले कार्मिक को अत्यावश्यकता के अनुसार किसी प्रोत्साहन के रूप में अतिरिक्त भत्ता अनुज्ञेय हो सकेगा, यदि, पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट सबंधित पद के लिए आवेदन नहीं करते हैं।

(6) अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कार्यरत कार्मिक को उनके पद/विषय के अनुसार सम्पूर्ण राज्य के किसी भी अन्य अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पदस्थापित/स्थानान्तरित किया

ज़ा सकेगा। संबंधित अभ्यर्थी की वास्तविक वरिष्ठता, पदस्थापन में उक्त परिवर्तन से अप्रभावित रहेगा।

(7) ऐसे पदों पर कार्यरत कार्मिकों के मामले में जिसकी वरिष्ठता वहां अन्य रेंज/जिले के अधिकार क्षेत्र के अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयन के पश्चात् भी रेंज/जिला स्तर पर ही बनी हुई है सबन्धित अभ्यर्थी की वरिष्ठता उसके मूल रेंज/जिले में संरक्षित की जायेगी और वे अग्रिम पदोन्नति के लिए मूल रेंज/जिले में धारणधिकार का हकदार होंगे।

(8) ऐसे पदों के मामले में जहां वरिष्ठता रेंज/जिला स्तर पर संधारित है और परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी/परिवीक्षाधीन व्यक्ति अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयन के पश्चात् अन्य रेंज/जिले में पदस्थापित हैं वहां परिवीक्षाकाल के सफलतापूर्वक समाप्त होने के पश्चात् स्थायीकरण, उस मूल रेंज/जिले, जहां अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पदस्थापित होने से पूर्व उसकी वरिष्ठता संधारित है, के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

(9) राजस्थान स्वैच्छिक ग्रामीण सेवा नियम, 2010 के पदधारी नगरीय/निगम क्षेत्रों में पदस्थापन के लिए पात्र नहीं होंगे।

15. रिक्त पदों को भरने के लिए या आपवादिक मामलों में पदस्थापन की शक्ति.- इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निदेशक, सक्षम प्राधिकारी को पदस्थापित अथवा अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में के स्कूल शिक्षा विभाग में नियमित रूप से नियुक्त किये गये किसी कार्मिक को लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों के लिए, रिक्तियां भरने हेतु अथवा आपवादिक मामलों में पदस्थापित करने के लिए अनुदेशित कर सकेगा। विभाग के अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में रिक्तियों या भावी रिक्तियों को भरने हेतु राज्य सरकार इन विद्यालयों में सेवा की न्यूनतम एक वर्ष की अवधि के किसी अनिवार्य प्रावधान को अधिरोपित कर सकेगी।

16. शंकाओं का निराकरण.- यदि इन नियमों के लागू होने, निर्वचन और व्याप्ति के बारे में कोई शंका उत्पन्न हो तो मामला सरकार के कार्मिक विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

17. निरसन और व्यावृत्ति.- इन नियमों के अंतर्गत आने वाले मामलों से संबंधित तथा इन नियमों के प्रारंभ के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम और आदेश इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार अतिष्ठित नियमों और आदेशों के अधीन की गयी कोई भी कार्रवाई इन नियमों के उपबंधों के अधीन की गयी समझी जायेगी।

6rm

अनुसूची-I
(नियम-2,5,7,8,9,11 और 14 देखें)

क्र. सं.	पद का नाम	पात्रता
1	2	3
1.	प्रधानाचार्य	प्रधानाचार्य, सीनियर सैकण्डरी विद्यालय या समतुल्य पद पर कार्यरत कोई व्यक्ति
2.	उप-प्रधानाचार्य	प्रधानाचार्य, सीनियर सैकण्डरी विद्यालय या समतुल्य पद पर कार्यरत कोई व्यक्ति
3.	प्राध्यापक (विभिन्न विषय)	सुसंगत विषय में प्राध्यापक या समतुल्य पद पर कार्यरत कोई व्यक्ति
4.	वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय)	सुसंगत विषय में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर कार्यरत कोई व्यक्ति
5.	वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक	वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक के पद पर कार्यरत कोई व्यक्ति
6.	वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक	वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक के पद पर कार्यरत कोई व्यक्ति
7.	पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-II	पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-II के पद पर कार्यरत कोई व्यक्ति
8.	वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक	वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के पद पर कार्यरत कोई व्यक्ति
9.	वरिष्ठ सहायक	वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत कोई व्यक्ति और टंकण एवं कम्प्यूटर कार्य के व्यवहारिक ज्ञान में प्रवीण
10.	अध्यापक लेवल-2 (विभिन्न विषय)	सुसंगत विषय में अध्यापक लेवल-2 के पद पर कार्यरत कोई व्यक्ति
11.	अध्यापक लेवल-1	अध्यापक लेवल-1 के पद पर कार्यरत कोई व्यक्ति
12.	शारीरिक शिक्षा अध्यापक	शारीरिक शिक्षा अध्यापक के पद पर कार्यरत कोई व्यक्ति
13.	बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक	बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक के पद पर कार्यरत कोई व्यक्ति
14.	पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-III	पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-III के पद पर कार्यरत कोई व्यक्ति

15.	प्रयोगशाला सहायक	प्रयोगशाला सहायक के पद पर कार्यरत कोई व्यक्ति
16.	कनिष्ठ सहायक	कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत कोई व्यक्ति और टंकण एवं कम्प्यूटर कार्य के व्यावहारिक ज्ञान में प्रवीण
17.	चपरासी	चपरासी के पद पर कार्यरत कोई व्यक्ति

टिप्पण: (1) आवेदकों, जो अंग्रेजी भाषा सम्प्रेषण कौशल में प्रवीण तथा अंग्रेजी माध्यम से अध्यापन में दक्ष हैं, को क्रम संख्या 1 से 14 पर यथोल्लिखित अध्यापन पदों के लिए चयन में अधिमानता दी जायेगी।

(2) क्रम संख्या 15 से 17 पर यथोल्लिखित गैर-अध्यापन पदों के लिए आवेदकों के चयन के लिए अंग्रेजी भाषा का व्यावहारिक ज्ञान वांछनीय होगा।

अनुसूची-II
(नियम-15(5) देखें)

क्र.सं.	जिले	विनिर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र
1	2	3
1.	धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, चितौड़गढ़, उदयपुर, राजसमन्द, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बारां, झालावाड़	I. जिला मुख्यालयों/नगर निगम/नगर परिषद्/नगरपालिका क्षेत्र से 25 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर स्थित विद्यालय और II. राष्ट्रीय राजमार्गों/ राज्य राजमार्गों से 25 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर स्थित विद्यालय

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

(जय सिंह)

संयुक्त शासन सचिव

06/2023